



2026:AHC-LKO:13653-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 145 / 2026

अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली व 2 अन्य

.....अपीलार्थियों

बनाम

मैसर्स लैलाइट फिलिंग सेंटर द्वारा प्रोप्राइटर विजया कीर्ति व अन्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के अधिवक्ता : मनीष जौहरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : गौरव उपाध्याय, मनीष मिश्रा

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

संदर्भ:- सी.एम.ए. संख्या 2 / 2026

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2. अंत:-न्यायालय अपील में परिसीमा को अवधि से 5 दिन का विलंब बताया गया है।

3. न्यायालय ने विलंब क्षमा करने की प्रार्थना करने वाले आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र में बताए गए आधारों पर विचार किया है और पाया है कि बताया गया कारण पर्याप्त है। तदनुसार, अंत:-न्यायालय अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है, फलस्वरूप, आवेदन संख्या 2 / 2026 को स्वीकार किया जाता है। कार्यालय इस अपील को एक नियमित संख्या आवंटित करे।

गुण-दोष के आधार पर

5. यह अंत:-न्यायालय अपील अपीलार्थियों द्वारा रिट-सी संख्या 11247 / 2025 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.12.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी की रिट याचिका स्वीकार कर ली थी और दिनांक 07.08.2025 के समापन आदेश को रद्द कर दिया था, साथ ही डीलरशिप समझौते तथा रिट-याचिकाकर्ता के खुदरा दुकान की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष जौहरी ने मुख्य रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 पर इस आधार पर हमला किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 'मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स' (संक्षेप में 'एमडीजी') में निहित संशोधित शर्तों पर विचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने असंशोधित एमडीजी, विशेष रूप से खंड 8.9 का उल्लेख किया और उसके आधार पर अपीलार्थियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. यह प्रस्तुत किया गया था कि असंशोधित एमडीजी के अनुसार, समापन की कार्रवाई और सभी गंभीर अनियमितताओं के लिए संबंधित तेल कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख/राज्य प्रमुख/जोनल प्रमुख (महाप्रबंधक और उससे ऊपर) द्वारा अनुमोदित किया जाना था। हालांकि, एससी/एसटी श्रेणी की डीलरशिप के संबंध में, समापन को निदेशक (मार्केटिंग मुख्यालय) द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

10. यह भी बताया गया कि गंभीर अनियमितताओं से संबंधित मामलों में, डीलर को 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील करने का अधिकार था और ऐसी अपीलों में, अपीलीय प्राधिकारी ईडी (मुख्यालय में खुदरा या मुख्यालय में कंपनी द्वारा नामित कोई अन्य ईडी स्तर का अधिकारी) होता है।

11. यह आग्रह किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह देखते हुए कि निरस्तीकरण/समापन का आदेश ईडी (खुदरा और सेल्स) द्वारा पारित किया गया था और एमडीजी (असंशोधित) के खंड 8.9 के अनुसार, समापन के खिलाफ अपील मुख्यालय में ईडी (खुदरा) के समक्ष होगी और दोनों प्राधिकारी समान रैंक के होने के कारण, अपीलीय कार्यवाही को पर्याप्त उपचार नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, मार्केटिंग गाइडलाइन्स तेल कंपनियों पर बाध्यकारी हो सकती हैं, लेकिन यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए वैधानिक उपचार का स्वरूप नहीं लेती है। इसी आधार पर प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, बावजूद इसके कि विशिष्ट एलील ली गई थी और संशोधित एमडीजी को अभिलेख पर लाया गया था, जिसे अनदेखा कर दिया गया।

12. आगे यह आग्रह किया गया कि उक्त एमडीजी को 30.11.2022 से संशोधित किया गया था और एमडीजी के संशोधित खंड के अनुसार, यदि समापन आदेश राज्य कार्यालय में ईडी के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, तो अपीलीय प्राधिकारी में कंपनी द्वारा नामित 2 ईडी की एक समिति शामिल होगी। यह भी बताया गया कि एमडीजी को आगे संशोधित किया गया और एक विवाद समाधान पैनल का गठन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और तेल कंपनी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो कार्यकारी निदेशक के पद से नीचे का न हो शामिल हैं, जो अपीलों की सुनवाई करेंगे। यह संशोधन 05.01.2024 से प्रभावी हुआ था, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया।

14. श्री जौहरी की दलील का मुख्य भाग यह था कि वर्तमान मामले में, भले ही समापन आदेश राज्य स्तर पर ईडी (खुदरा और सेल्स) द्वारा पारित किया गया था, अपीलीय कार्यवाही मुख्यालय के 2 ईडी या विवाद समाधान पैनल वाले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होती, और किसी भी स्थिति में एमडीजी में प्रदान किए गए अपीलीय मंच के समक्ष होती। लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र को अपने हाथ में लिया और रिट-अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मामले का फैसला एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में किया, जो उचित नहीं था और उपरोक्त परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

15. श्री जौहरी ने विवाद के गुण-दोष पर आगे यह आग्रह किया कि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य थे कि प्रतिवादी डिस्पेंसिंग ईकाई में स्थापित पल्सर कार्ड के साथ छेड़छाड़ का दोषी था और ऐसी परिस्थिति में डीलरशिप का समापन उचित था। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने साक्ष्यों की पर्याप्तता पर विचार किया जो रिट-कोर्ट के दायरे में नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है और तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द किया जाए।

16. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा ने उपरोक्त दलीलों का खंडन किया है और आग्रह किया है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि एमडीजी में प्रदान की गई अपीलीय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, तो भी तथ्य यह है कि इस कारण से अपीलार्थियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई आपतियों का एकमात्र प्रभाव यह होता कि पहले समापन आदेश की समीक्षा विवाद समाधान पैनल द्वारा की जाती और उसके बाद भी व्यथित पक्ष को रिट-कोर्ट में जाने का अधिकार था। इसके अलावा, अपीलार्थियों का यह मामला नहीं है कि उन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, बल्कि अपीलार्थियों द्वारा सभी संभावित दलीलें देते हुए प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिन्हें रिट याचिका स्वीकार करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान में रखा गया है। अब ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थियों के लिए यह कहना उचित नहीं है कि विवाद समाधान पैनल के मंच का उपयोग किए बिना रिट पर विचार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां असाधारण प्रकृति की हैं और उन परिस्थितियों में जहां प्रतिवादीगण को बार-बार याचिकाएं दाखिल करने के लिए मजबूर किया गया था, यह केवल उचित था कि मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए मामले का निर्णय रिट-कोर्ट द्वारा किया जाए।

17. श्री मिश्रा ने यह भी आग्रह किया है कि जहाँ तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का संबंध है, यह स्पष्ट होगा कि अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई सभी आपतियों का समाधान किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निष्कर्ष मुख्य रूप से निर्विवाद तथ्यों से निकाले गए अनुमान पर आधारित है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में, जहां केवल एक दिखावटी आपति उठाई गई थी और अपीलार्थियों द्वारा कोई साफ़ान त्रुटि नहीं बताई जा सकी, तदनुसार, अंतः-न्यायालय अपील गुणहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

18. न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन भी किया है।

19. प्रारंभ में ही यह देखा जा सकता है कि वैकल्पिक उपचार का नियम रिट-कोर्ट के लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह एक स्व-लगाया गया प्रतिबंध है। श्री जौहरी इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि एमडीजी को कानून नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक दिशा-निर्देश है जिसका तेल कंपनी और उनके डीलरों द्वारा पालन किया जाता है। उसमें प्रदान किए गए किसी भी उपचार को वैधानिक उपचार के समकक्ष नहीं माना जा सकता, हालांकि, आमतौर पर यह पक्षों पर बाध्यकारी होता है और सामान्यतः पक्षों को प्रदान किए गए उपचारों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, एमडीजी के खंड का केवल उल्लंघन ही अपने आप में अपीलार्थियों की सहायता नहीं कर सकता जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो।

21. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि अपीलार्थियों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या वे विवाद समाधान पैनल के समक्ष कौन सी सामग्री रख सकते थे जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं रखी जा सकी, जहां अभिवचनों के आदान-प्रदान के बाद अपीलार्थियों को उचित सुनवाई का अवसर दिया गया था।

22. इस संदर्भ में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ, जिसमें हममें से एक (जसप्रीत सिंह, जे) सदस्य थे, को इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था कि क्या केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किसी आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त है, विशेष रूप से जब कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित न हो। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों की सहायता से, इस न्यायालय ने दुर्गावती सिंह व

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अन्य बनाम डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटीज एंड चिट्स, लखनऊ व अन्य; 2022 एससीसी ऑनलाईन ऑल 10 के पैराग्राफ 33 में निम्नानुसार अवलोकन किया था:—

33. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार, 2020 एससीसी ऑनलाईन एससी 847 में एक बार फिर इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला और बड़ी संख्या में अधिकारियों और पिछले निर्णयों को देखने के बाद, पैरा 39 में उल्लिखित निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला, जो इस प्रकार हैं:—

"39. उपरोक्त निर्णयों का विश्लेषण इस प्रकार प्रकट करता है:

(1) प्राकृतिक न्याय न्यायपालिका के हाथों में अन्याय को दूर करने के लिए उपयुक्त मामलों में पहुँचने का एक लचीला उपकरण है। ऑडी अल्टरम पार्टम नियम का उल्लंघन अपने आप में, बिना किसी और चीज़ के, इस निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता कि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(2) जहाँ कानून के प्रक्रियात्मक और/या सारवान प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, उनका उल्लंघन अपने आप में पारित आदेशों की अमान्यता का कारण नहीं बनता है। यहाँ फिर से, मुकदमेबाज को प्रतिकूल प्रभाव होना चाहिए, सिवाय कानून के एक अनिवार्य प्रावधान के मामले में जिसकी परिकल्पना न केवल व्यक्तिगत हित में, बल्कि सार्वजनिक हित में भी की गई है।

(3) प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जहाँ ऐसा व्यक्ति अपने खिलाफ मामले का खंडन नहीं करता है। यह विबंधन, उपमत, परित्याग और तथ्यों को चुनौती न देने या अस्वीकार न करने या तथ्यों को स्वीकार करने के कारण हो सकता है, उन मामलों में जिनमें न्यायालय तथ्यों पर पाता है कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति पर कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(4) उन मामलों में जहाँ तथ्यों को स्वीकार किया जा सकता है या निर्विवाद माना जा सकता है, और केवल एक ही निष्कर्ष संभव है, न्यायालय रद्द करने या वापस भेजने के निरर्थक आदेश पारित नहीं करता है जब वास्तव में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा हो। यह निष्कर्ष न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों के मूल्यांकन पर निकाला जाना चाहिए, न कि उस प्राधिकारी द्वारा जो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय से वंचित करता है।

(5) "प्रतिकूल" प्रभाव का अपवाद एक मुकदमेबाज की केवल आशंका या उचित संदेह से अधिक होना चाहिए। यह तथ्य के रूप में मौजूद होना चाहिए, या प्राकृतिक न्याय के पालन न करने से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना के निश्चित अनुमान पर आधारित होना चाहिए।"

23. इस प्रकार, इस न्यायालय की स्पष्ट राय है कि अपीलार्थियों किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर सके, विशेष रूप से जब उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया। भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने असंशोधित एमडीजी का उल्लेख किया हो, लेकिन वह अपने आप में निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि गुण-दोष को प्रभावित करने वाली सारवान और ठोस त्रुटि न बताई जा सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की दलील का दूसरा हिस्सा, जो विवाद के गुण-दोष से संबंधित है, यदि उसकी जाँच की जाए, तो पता चलेगा कि एमडीजी का खंड 5.1.4 डिस्पेंसिंग ईकाई में पाए जाने वाले अतिरिक्त/अनधिकृत फिटिंग/गियर या डिस्पेंसिंग ईकाई के साथ छेड़छाड़ का उल्लेख करता है। यह आगे प्रावधान करता है कि डिस्पेंसिंग ईकाई में फिट किया गया कोई भी तंत्र या फिटिंग या गियर जो डिलीवरी में हेरफेर करने की संभावना रखता है, या डिस्पेंसिंग ईकाई के किसी भी हिस्से जिसमें कोई तंत्र, गियर, माइक्रो-प्रोसेसर चिप, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स/ओईएम सॉफ्टवेयर शामिल है, का कोई भी जुड़ाव, निष्कासन, प्रतिस्थापन या हेरफेर पाया जाता है, तो उसे डिस्पेंसिंग ईकाई के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा।

26. उपरोक्त खंड के आधार पर, श्री जौहरी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि निरीक्षण के समय यह पाया गया था कि डिस्पेंसिंग ईकाई ठीक से काम नहीं कर रही थी और इसके अलावा पल्सर कार्ड में कुछ सोल्डरिंग के निशान थे, तदनुसार, यह अपने आप में विधिक अनुमान का प्रावधान को आकर्षित करता है और चूंकि उक्त डिस्पेंसिंग ईकाई प्रतिवादी की कस्टडी में हैं, इसलिए वे छेड़छाड़ के दोषी थे और अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में कोई दोष नहीं था।

27. इस पहलू पर विचार करने और विवादित निर्णय को पढ़ने पर यह पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ध्यान दिया कि निरीक्षण के समय बाट एवं माप विभाग द्वारा लगाई गई सीलें सही पाई गई थीं। उक्त इकाई को खोलने के बाद ही, अपीलार्थियों के अनुसार सोल्डरिंग के निशान थे, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया मूल तथ्य यह था कि बाट एवं माप विभाग द्वारा लगाई गई सीलों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी आरोप के अभाव में, ऐसा कोई संभावित तरीका नहीं था जिससे प्रतिवादी पल्सर कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर सकता था।

28. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी ने पहले भी उक्त डिस्पेंसिंग ईकाई के अनियमित कामकाज के बारे में शिकायत की थी और यह पाया गया था कि उक्त इकाई अतिरिक्त डिलीवरी कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी को कोई लाभ नहीं हो सकता था और यह स्वीकार्य रूप से ईंधन की कम डिलीवरी का मामला नहीं है। एकमात्र इकाई जिसके साथ छेड़छाड़ की बात कही गई थी, वह वास्तव में एक गैर-कार्यात्मक इकाई थी जिससे कोई बिक्री नहीं की गई थी।

29. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि आउटलेट का निरीक्षण 08.06.2017 को किया गया था जबकि डीलरशिप 15.07.2017 को समाप्त कर दी गई थी। यह भी देखा गया कि समापन के समय अपीलार्थियों ने अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुयुफैक्चरर (ओईएम) से रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की थी। ओईएम की रिपोर्ट अपीलार्थियों द्वारा 18.12.2017 को प्राप्त की गई थी, समापन के लगभग 5 महीने बाद।

30. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि डीलरशिप को समाप्त करने का मूल आधार डिस्पेंसिंग ईकाई के साथ छेड़छाड़ पर आधारित था जो स्पष्ट रूप से मनमाना था क्योंकि जो ईकाई छेड़छाड़ वाली पाई गई थी वह पहले से ही गैर-कार्यात्मक थी, जिससे कोई बिक्री नहीं की गई थी। इसके साथ ही यह तथ्य भी जुड़ा था कि अन्य सभी इकाइयाँ बाट एवं माप विभाग की सीलों के साथ सुरक्षित पाई गई थीं। ओईएम की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही समापन आदेश पारित कर दिया गया जो स्पष्ट रूप से मुद्दे को पहले से तय करने के समान था और इस प्रकार ऐसे निष्कर्षों के आधार पर रिट याचिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वीकार की गई थी। न्यायालय ने पक्षों के बीच पहले की मुकदमेबाजी पर भी विचार किया और उसके बाद समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए रिट याचिका स्वीकार की।

31. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय पर विचार करने के बाद पाया कि अपीलार्थीयों इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि बाट एवं माप विभाग की सीलें सुरक्षित पाई गई थीं। अपीलार्थी यह भी खंडन नहीं कर सके कि केवल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समझौता समाप्त कर दिया गया था जबकि ओईएम की रिपोर्ट उसके लगभग 5 महीने बाद आई थी।

33. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निर्विवाद तथ्यों पर आधारित हैं और अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत कैसे हैं या किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण कैसे हैं।

34. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम स्कोप सेल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य: **2026** एससीसी ऑनलाइन एससी **112** में यह देखा कि अंतः-न्यायालय अपील में सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए जब तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण विकृत या प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण न हो। इसके अलावा, केवल इसलिए कि दूसरा दृष्टिकोण संभव है, यह अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं होना चाहिए।

35. यह न्यायालय नहीं पाता है कि वर्तमान मामले में उपरोक्त पैरामीटर आकर्षित होते हैं क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.2025 में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि नहीं की गई है। उपरोक्त कारणों से, प्रस्तुत विशेष अपील गुणहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(जसप्रीत सिंह, जे.) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

**18 फरवरी, 2026**

आशीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"